

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

अब्दुल रहमान बनाम श्री रवां

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 61/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23/02/24	<p>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।</p> <p>प्रार्थी श्री / श्रीमती <u>अब्दुल रहमान - मुनीरवां - मंगी</u></p> <p>पिता श्री <u>अलानुरे रवां मुसलमान</u></p> <p>निवासी- <u>जेतावलगाट पाछली बल्ली</u> तहसील, व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम <u>जेतावलगाट पाछली</u> स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर <u>1245/204, 1248/204, 1251/209, 1254/210, 1257/211, 1260/212</u> <u>0.79, 0.08, 0.05, 0.04, 0.04, 0.6260</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> कुल रकबा <u>1.6260</u> है0 की पत्थरगढी कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।</p> <p>अतः प्रार्थी की ग्राम <u>जेतावलगाट पाछली (तहसील बल्ली)</u> स्थित खातेदारी की भूमि आराजी नम्बर <u>1245/204, 1248/205, 1251/209, 1245/210, 1257/211, 1260/212</u> <u>0.79, 0.08, 0.05, 0.04, 0.04</u></p> <p>कुल कीता <u>0.6</u> रकबा <u>1.6260</u> है0 की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क <u>1500=00</u> रुपये अक्षरे <u>एक हजार पांच सैलियर</u> प्रार्थी से वसूल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><b>(बीनू देवल)</b> सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ (राज.)</p>